पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2014 ई0 (फाल्गुन 10, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–09

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।
4–प्रकाशक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	–
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों।	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	93–104	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	47–49	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	361–363	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

11 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 315/VII–1–14/11–रिट/2012 टी0सी0–1–प्रदेश में आयी भीषण आपदा से हुई क्षति के उपरान्त जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु राज्य में ईंट, मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी की नितान्त आवश्यकता है तथा खनन एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया होने को दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति से मुक्त किये जाने या प्रक्रिया सरलीकरण कर विकास कार्यों को सुचारू रूप से गतिशील रखने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–3 में स्पष्टीकरण तथा नियम–21–1 के उपरान्त उप नियम (1–क) पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता समाप्त किये जाने के दृष्टिगत निम्नवत् जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्पष्टीकरण–ईंट, मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो।

(2) (1–क) नियम–3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

स्थानान्तरण

07 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 167/XXVIII–2/01(37)2007 टी0सी0 VI–एतद्द्वारा जनहित एवं कार्यहित में निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थान पर तैनात करने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3
1.	डा0 मुकेश जोशी, बेस हॉस्पिटल, अल्मोड़ा	सर्जन, जी0एस0 महरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत
2.	डा0 राजेन्द्र सिंह भोंत, जी0एस0 महरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत	सर्जन, बेस हॉस्पिटल, अल्मोड़ा
3.	डा0 गीता शर्मा, अपर निदेशक (बाध्य प्रतीक्षारत)	रा0 महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल
4.	डा0 विनोद कुमार टम्टा, वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी, उत्तरकाशी	संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल
5.	डा0 मेहरबान सिंह, रावत सामु0स्वा0के0, भवाली, नैनीताल	बाल रोग विशेषज्ञ, बी0डी0 पाण्डे, पुरूष चिकित्सालय, नैनीताल

2. उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा।

अधिसूचना

स्थानान्तरण

12 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 181/XXVIII–2/01(37)2007–एतद्द्वारा जनहित एवं कार्यहित में निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थान पर तैनात करने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती
1	2	3
1.	डा0 भगत सिंह रावत, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून
2.	डा0 एम0एम0 तिवारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (हलद्वानी जोन), नैनीताल

2. उपरोक्त चिकित्साधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा।

अधिसूचना

तैनाती

12 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 182/XXVIII–2/01(37)2007–एतद्द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून के पत्र संख्या–1प/रा0पु0/28/2013/30718, दिनांक 07.11.2013 एवं शासन की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–890/XXVIII–2/01(151)2011, दिनांक 18.09.2013 के क्रम में, डा0 राजपाल सिंह राणा की शैक्षिक अर्हता को 'मुख्य विशेषज्ञ–सर्जरी' के स्थान पर 'बाल रोग विशेषज्ञ' अंकित करते हुए, उन्हें चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0 केन्द्र, सहसपुर, देहरादून के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात करने श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अधिसूचना

तैनाती

14 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 192/XXVIII–2/01(37)2007 टी0सी0 VI–एतद्द्वारा डा0 तारा आर्य, प्रमुख अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल को उक्त पद के साथ–साथ कार्यवाहक निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त द्वैत कार्य हेतु डा0 तारा आर्य को कोई अतिरिक्त प्रभार भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

10 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 6253/XX–3–2013–05(17)2013–श्री राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्रीमती मीना तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल इस अधिसूचना को दिनांक 09 सितम्बर, 2013 से प्रवृत्त करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

14 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 175/XIII–II/2014–01(14)/2012–एतद्द्वारा, श्री राज्यपाल महोदय, श्री तिलकराज बेहड़, ए–123, आवास विकास कॉलोनी, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड को तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का "अध्यक्ष" नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कैबिनेट मंत्री स्तर एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में गोपन विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 80/XVII–1/14–01(प्रकोष्ठ)/2014–मा0 मंत्रिमण्डल की दिनांक 13 जनवरी, 2014 की बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में "उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन धनाबंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013" की धारा 20 के प्राविधानानुसार समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के अधीन सचिवालय स्तर पर पूर्व से गठित "समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ" को ही अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है तथा इसे अब "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ" (SC/ST Planning Cell) के नाम से जाना जायेगा।

2. "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ" (SC/ST Planning Cell) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण के अधीन शासन/सचिवालय स्तर पर कार्य करेगा।

3. "उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनाबंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013" की धारा 3 की व्यवस्थानुसार नियोजन विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य योजना की एक निश्चित राशि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के समानुपातिक हो, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिए समाज कल्याण विभाग को आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध करायेगा तथा वार्षिक राज्य योजना के आकार में परिवर्तन होने पर अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना परिव्यय को तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

4. "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ" (SC/ST Planning Cell) में वर्तमान में समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में ही स्वीकृत निम्नांकित पद होंगे :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या		
			स्थाई	अस्थाई	योग
1.	मुख्य समन्वयक	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण पदेन मुख्य समन्वयक होंगे।			
2.	समन्वयक	अपर सचिव, समाज कल्याण पदेन समन्वयक होंगे।			
3.	संयुक्त निदेशक	₹ 15,600–39,100+ग्रे0पे 7,600	–	01	01
4.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	₹ 15,600–39,100+ग्रे0पे 6,600	01	–	01
5.	शोध अधिकारी	₹ 15,600–39,100+ग्रे0पे 5,400	01	–	01
6.	शोध सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200	03	01	04
7.	लेखाकार	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200	01	–	01
8.	वैयक्तिक सहायक	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 2,800	01	–	01
9.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 1,900	–	01	01
10.	प्रधान सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200	02	–	02
11.	कम्प्यूटर सहायक	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 1,900	–	01	01
12.	कनिष्ठ सहायक	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 2,000	01	–	01
13.	वाहन चालक	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 1,900	01	–	01
14.	अनुसेवक	आऊट सोर्सिंग			
	योग :		11	04	15

5. "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ" (SC/ST Planning Cell) के उपरोक्त पदों पर वर्तमान में समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत् निम्नलिखित कर्मियों को ही समान पद एवं वेतनमान में समायोजित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री एम0सी0 ठाकुर	संयुक्त निदेशक	₹ 15,600–39,100+ग्रे0पे 7,600
2.	श्री काशीराम भट्ट	वरिष्ठ शोध अधिकारी	₹ 15,600–39,100+ग्रे0पे 6,600
3.	श्री सतीश चन्द्र	शोध सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200
4.	श्री वीरेन्द्र दत्त डोभाल	शोध सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200
5.	श्री शशि भूषण	शोध सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200
6.	श्री अशोक कुमार	वैयक्तिक सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200
7.	श्री पदमेन्द्र सिंह राणा	प्रधान सहायक	₹ 9,300–34,800+ग्रे0पे 4,200
8.	श्री सुभाष घिल्डियाल	वाहन चालक	₹ 5,200–20,200+ग्रे0पे 1,900
9.	श्री शिव प्रसाद जुगराण	अनुसेवक	₹ 4,440–7,440+ग्रे0पे 1,800

6. प्रकोष्ठ के पद सचिवालय संवर्ग के बाहर के होंगे किन्तु शासन/सचिवालय स्तरीय पद होंगे तथा इन पदधारकों को वह समस्त सुविधाएं एवं भत्ते आदि अनुमन्य होंगे, जो सचिवालय के अन्य संवर्गीय कर्मचारियों को समय–समय पर अनुमन्य किये जायेंगे।

7. प्रकोष्ठ के आहरण–वितरण अधिकारी प्रकोष्ठ के संयुक्त निदेशक होंगे।

8. प्रकोष्ठ के कृत्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के गठन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना।
2. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए, राज्य समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
3. एक विभाग से दूसरे विभाग में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना परिव्यय का पुनर्विनियोग करना।
4. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन, व्यय, परिणाम, उपलब्धि आदि सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वेबपोर्टल तैयार करना।
5. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं की संरचना।
6. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु उच्च स्तर पर गठित विभिन्न समितियों की बैठकों के आयोजन आदि का कार्य।
7. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना से सम्बन्धित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों हेतु नियोजन विभाग के कार्यों का संचालन।
8. केन्द्रीय योजना आयोग से अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के परिव्यय आदि के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य।
9. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना हेतु निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष संचालित योजनाओं के लिए आवंटित राशि को समयबद्ध रूप से व्यय किये जाने की समीक्षा आदि का कार्य।
10. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के परिणाम, विभागवार प्रगति तथा सम्बन्धित वर्ष में अनुप्रयुक्त रह गयी धनराशि की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करना।

11. अधिनियम के किन्हीं अथवा समस्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियम बनाने की कार्यवाही करना।

12. प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त अधिष्ठान/बजट आदि का कार्य।

13. चतुर्थ श्रेणी का पद डाइंग होगा, जैसे ही उक्त पदधारक के सेवानिवृत्ति/अन्य कारणों से यह रिक्त होगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–30 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन–07–एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 123(NP)XXVII–1/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

05 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 389/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत नियमित चयनोपरान्त श्री गोपाल सिंह रावत, समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री रावत के अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रावत को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4. उक्त पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों का तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013(एस/एस) धमेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

10 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 425/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री दयाकृष्ण लोहुमी, अनुभाग अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव (लेखा) के पद, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री लोहुमी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है तथा अनुसचिव (लेखा) के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

10 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 426/XXXI(1)/2014—तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी (लेखा), वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री विनोद कुमार नौटियाल

2. श्री नरेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

3. श्रीमती देवकी भट्ट

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 493/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री प्रदीप सिंह रावत, संयुक्त सचिव को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव, वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रावत को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री रावत के अपर सचिव के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 494/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित उप सचिवों को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) श्री राजेन्द्र सिंह,
(2) श्री अतर सिंह,
(3) श्रीमती गरिमा रौंकली,
(4) श्रीमती मायावती ढकरियाल,
(5) श्री क्षेत्रपति पाटनी,
(6) श्री मदन मोहन सेमवाल,
(7) श्री राजेन्द्र कुमार तोमर,
(8) श्री बेदीराम।

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत उल्लिखित अधिकारियों की प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या—92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 495/XXXI(1)/2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसचिवों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) श्री प्रदीप कुमार जोशी
(2) श्री श्याम सिंह
(3) श्री कृष्ण सिंह
(4) श्री संतोष बड़ोनी
(5) श्री विक्रम सिंह यादव
(6) श्री नंदन सिंह डुंगरियाल
(7) श्रीमती महिमा
(8) श्री सुरेन्द्र सिंह रावत
(9) श्री जयलाल शर्मा
(10) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता
(11) श्री सोमपाल
(12) श्री जीवन सिंह तिलारा
(13) श्री अहमद अली
(14) श्री महावीर सिंह
(15) श्रीमती आशा चौरसिया
(16) श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
(17) श्री प्रेम सिंह बिष्ट
(18) श्री अरविन्द सिंह पांगती
(19) श्री प्रताप सिंह शाही
(20) श्री धर्मानन्द जोशी

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उप सचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या—92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 496 / XXXI(1) / 2014—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट
(2) श्री भूपेन्द्र सिंह बोरा
(3) श्री केवलानन्द उपाध्याय
(4) श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
(5) श्री ईश्वरी दत्त पाण्डे
(6) श्री चन्दन सिंह रावत
(7) श्री दिनेश चन्द्र जोशी
(8) श्री गोकुलानन्द
(9) श्री आन सिंह बोरा
(10) श्री बालादत्त बेलवाल
(11) श्री जीवन सिंह
(12) श्री खुशाल सिंह
(13) श्री जगत सिंह
(14) श्री सुधीर जोशी
(15) श्री विजेन्द्र सिंह
(16) श्री देवेन्द्र सिंह
(17) श्री नन्दन सिंह बिष्ट
(18) श्री विजय कुमार
(19) श्री सत्य प्रकाश सिंह
(20) श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी
(21) श्री मुकेश कुमार राय
(22) श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया
(23) श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह
(24) श्री अर्पण कुमार राजू
(25) श्री अनिल जोशी
(26) श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह
(27) श्री आलोक कुमार सिंह
(28) श्री प्रदीप मोहन नौटियाल
(29) श्री अनिल कुमार पाण्डे
(30) श्री अजीत सिंह
(31) श्री विवेक कुमार जैन
(32) श्री रईस अहमद
(33) श्री अनूप कुमार मिश्रा
(34) श्रीयुत श्री प्रकाश तिवारी
(35) श्री अखिलेश मिश्रा
(36) सुश्री रीता क्वीरा
(37) श्री हीरा सिंह

(38) श्री आशुतोष शुक्ल
(39) सुश्री दीप्ती मिश्रा
(40) श्री कृष्ण कुमार शुक्ल
(41) श्री प्रदीप कुमार शुक्ल
(42) श्री शिव शंकर मिश्रा
(43) श्री ब्यामकेश दूबे
(44) श्री सुनील कुमार सिंह
(45) श्री अतुल कुमार सिंह
(46) श्री देवेन्द्र सिंह
(47) श्री हनुमान प्रसाद तिवारी
(48) श्री शिव विभूति रंजन

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी शासन के अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती विभाग में बने रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के विभाग में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या–92/2011, अहमद अली अन्य बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में योजित अन्य याचिकाओं में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 497/XXXI(1)/2014–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त मुख्य निजी सचिव, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री दिनेश चन्द्र भट्ट
(2) श्री मुकेश थपलियाल
(3) श्री सुरेश चन्द्र जोशी

2. उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति के फलस्वरूप 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. मुख्य निजी सचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

13 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 622/VII–1–14/07–रिट/उद्योग/2007–रिट याचिका संख्या 171/2007, श्री बी0आर0 आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 17.07.2012 को निम्न आदेश पारित किये हैं :–

On 11th October, 2006 respondent no. 3 was promoted to the post of General Manager. In order to be promoted to the post of General Manager, the required eligibility was to serve for three years in the post of Manager. Inasmuch as on 11th October, 2006, petitioner had not served for three years as Manager, since he was promoted to the said post only on 29th June, 2004, the case of promotion of the petitioner was not considered. The fact remains that, unjustly, petitioner was deprived of promotion by virtue of statutory rules. It has not come on record that on 10th May, 1999 the records of the petitioner were such that he could be declared unfit. In those circumstances, it must be deemed that on 11th October, 2006, petitioner was unjustly denied an opportunity of being considered for promotion, whereas the case of promotion of respondent no. 3 a junior to the petitioner, was considered. However the fact remains that during the pendency of the writ petition, on 28th November, 2008 petitioner has been promoted. In that view of the matter, we also declare that the promotion of the petitioner to the post General Manager *w.e.f.* 28th November, 2008 shall be deemed to be notionally effected from 11th October, 2006.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री बी0आर0 आर्य, महाप्रबन्धक, उद्योग की उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 11 अक्टूबर, 2006 से महाप्रबन्धक पद पर निदर्श रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त निदर्श पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आर्य को केवल वेतन निर्धारण लाभ प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 हिन्दी गजट/235–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2014 ई0 (फाल्गुन 10, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 17, 2013

No. 239/UHC/Admin.A/2013--Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Pratap Nagar, District Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kirti Nagar, District Tehri Garhwal, in the vacant Court.

This order shall come into force soon after the completion of the Foundation Training Programme of the officers of Civil Judge (Junior Division) Batch, 2011.

NOTIFICATION

December 23, 2013

No. 243/UHC/Admin.A/2013--Sri Anuj Kumar Sangal, Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Vikas Nagar, District Dehradun, *vice* Ms. Neetu Joshi.

NOTIFICATION

December 23, 2013

No. 244/UHC/Admin.A/2013--Sri Bindhyachal Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sikand Kumar Tyagi.

NOTIFICATION

December 23, 2013

No. 245/UHC/Admin.A/2013--Ms. Neena Aggarwal, 3rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Bindhyachal Singh.

NOTIFICATION

December 23, 2013

No. 246/UHC/Admin.A/2013--Ms.Neelam Ratra, Additional District & Sessions Judge, Bageshwar is transferred and posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Neena Aggarwal.

By Order of the Court,
Sd/-
D.P. GAIROLA,
Registrar General.

OFFICE OF THE UTTARAKHAND JUDICIAL & LEGAL ACADEMY, BHOWALI, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing Over Charge)

October 01, 2013

No. 1191/I-2013--CERTIFIED that the Office of the 4th Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar was handed over as herein denoted in the forenoon of 12.09.2013, *vide* Notification No. 189/UHC/Admin. A/2013, dated 11.09.2013 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

Relieved Officer ANITA KUMARI.

Counter signed,
(Illegible),
District Judge,
Hardwar.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking Over Charge)

October 01, 2013

No. 1192/I-2013--CERTIFIED that the Office of the 3rd Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar was taken over as herein denoted in the forenoon of 12.09.2013, *vide* Notification No. 189/UHC/Admin. A/2013, dated 11.09.2013 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

Relieving Officer ANITA KUMARI.

Counter signed,
(Illegible),
District Judge,
Hardwar.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing Over Charge)

October 01, 2013

No. 1193/I-2013--CERTIFIED that the Office of the 3rd Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar was handed over as herein denoted in the forenoon of 12.09.2013, *vide* Notification No. 188/UHC/Admin. A/2013, dated 11.09.2013 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

Relieved Officer SHAMA NARGIS.

Counter signed,
(Illegible),
District Judge,
Hardwar.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking Over Charge)

October 01, 2013

No. 1194/I-2013--CERTIFIED that the Office of the 2nd Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar was taken over as herein denoted in the forenoon of 12.09.2013, *vide* Notification No. 188/UHC/Admin. A/2013, dated 11.09.2013 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

Relieving Officer SHAMA NARGIS.

Counter signed,
(Illegible) ,
District Judge,
Hardwar.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/235–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2014 ई0 (फाल्गुन 10, 1935 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

31 जनवरी, 2014 ई0

संख्या 1142/23–5(8)(2013–14)–जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिला पंचायत हरिद्वार अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत जनपद हरिद्वार की समस्त कच्ची अथवा पक्की सड़कों के किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों, विकसित कस्बों और स्थलों पर लगाये जाने वाले टिन या अन्य धातु, कपड़ा तथा दीवारों पर लिखाई आदि से बने विज्ञापनों/होर्डिंग्स के बोर्ड को जन सामान्य की आवागमन/यातायात की सुविधार्थ विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधियां बनाई गई हैं।

अतएव, अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239ग–सड़के (ग) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, हरिद्वार जनपद की समस्त कच्ची अथवा पक्की सड़कों के किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों, विकसित कस्बों और स्थलों पर लगाये जाने वाले टिन या अन्य धातु, कपड़ा तथा दीवारों पर लिखाई आदि से बने विज्ञापनों/होर्डिंग्स के बोर्ड को जन सामान्य की आवागमन/यातायात की सुविधार्थ विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु निम्न उपविधियां बनायी जाती हैं।

उपविधि

1. यह उपविधियां जिला पंचायत, हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन/बोर्ड/होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार कार्य के नियन्त्रित उपविधियां कहलायेंगी। ये उपविधियां जिला पंचायत, हरिद्वार की बैठक में पारित प्रस्ताव की तिथि से लागू समझी जायेंगी।

2. (क) विज्ञापन बोर्ड का अर्थ उस बोर्ड से है, जो किसी भी व्यवसायिक/व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से प्रचार एवं प्रसार हेतु किसी सार्वजनिक सड़क के किनारे जनसाधारण के पढ़ने के लिये किसी भी उद्यमी, फर्म, संस्था, कम्पनी, फैक्ट्री या व्यक्ति विशेष द्वारा व्यापारिक हित में लगाये गये हों।

(ख) नियंत्रण का अर्थ विज्ञापन बोर्ड को सड़क के किनारे से एक निश्चित दूरी पर/मार्गों पर आवागमन नियमित संचालित करने के हित में जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप लगाने से है।

3. कोई भी व्यक्ति/संस्था जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक/व्यवसायिक दृष्टि से किसी कच्ची अथवा पक्की सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों, विकसित कस्बों, बाजारों में जिला पंचायत, हरिद्वार की पूर्व अनुमति लिये बिना न तो बोर्ड लगायेगा तथा न ही बोर्ड लगाने के लिये सड़क के किनारे गड्ढा खोदेगा। बिना पूर्व अनुमति लिये लगाया गया बोर्ड जिला पंचायत द्वारा उखाड़ लिया जायेगा तथा अपने कब्जे में रख लिया जायेगा। ऐसा बोर्ड उखड़वाने अथवा लगवाने/रखवाये जाने में जो भी खर्चा होगा, वह सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से वसूल किया जायेगा।

4. जनसाधारण की सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात को सुलभ बनाने की दृष्टि से सड़क के किनारे लगने वाले बोर्ड की दूरी सड़क से निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(क) कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, इकाई, फैक्ट्री आदि प्रचार–प्रसार का विज्ञापन/होर्डिंग्स प्रचार कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय मार्ग एवं राज्ययी मार्ग के मध्य से 55 फुट के अन्तर्गत इस प्रकार से लगायेगा जिससे किसी प्रकार की बाधा यातायात तथा आवागमन में न हो।

(ख) लिंक मार्ग या अन्य कोई पक्का मार्ग के बाहरी किनारे से 20 फुट जगह छोड़कर बोर्ड/होर्डिंग्स स्थापित किये जायेंगे।

(ग) किसी भी कच्चे मार्ग के किनारे 7–10 फुट जगह छोड़कर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे।

(घ) उक्त बिन्दुओं में दी गयी दूरी से करना चौड़ायी या मार्ग होने की दशा में बोर्ड मार्ग के अन्तिम किनारे पर ही स्थापित करना होगा।

(ङ) निजी मकान की दीवार पर लगाने पर ₹ 500 जुर्माना देना होगा।

5. बोर्ड की स्थापना लकड़ी की बल्ली या लोहे के गार्डर द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि तेज हवा या तूफान में वह उखड़ न सकें।

6. जनसाधारण की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, बोर्ड का साईज, मार्ग की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ग फीट से अधिक नहीं होगा। इससे बड़ा बोर्ड स्थापित करने के लिये लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी की जाँच आख्या के उपरान्त ही अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) निर्गत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

7. बोर्ड के ऊपर लिखाई ऐसी इंक/पेन्ट द्वारा लिखना प्रतिबन्धित होगा, जिस पर रात में वाहनों की रोशनी पड़ने पर चमक हो।

8. किसी भी बोर्ड अथवा होर्डिंग्स पर अश्लील भाषा का लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

9. विज्ञापन बोर्ड पर स्त्री अथवा पुरुष के नग्न अथवा अर्द्धनग्न फोटो जिस पर आम जनता विरोध दर्शाये, लगाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

10. जिला पंचायत, हरिद्वार के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी एवं कर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी सड़क के किनारे पर लगने वाले बोर्ड को इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर लगाने/लिखने के कार्य को बीच में ही रूकवाने के लिये अधिकृत होंगे।

11. जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन करना व्यक्ति/संस्था को अनिवार्य होगा।

12. विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को जिला पंचायत, हरिद्वार से लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से आरम्भ होगी ओर 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

13. इन उपविधियों के लागू हो जाने के उपरान्त नये बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को पूर्व में लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र एवं वांछित कागजात उपलब्ध कराने होंगे तथा अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) जारी होने के उपरान्त ही बोर्ड लगाना नियमित होगा अर्थात् बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा लाइसेन्स प्राप्त किये बिना बोर्ड स्थापित नहीं किया जायेगा।

14. प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च से पूर्व करा लेना अनिवार्य होगा। 31 मार्च तक लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराने की स्थिति में प्रति माह ₹ 250 विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा। लाइसेन्स न लेने की स्थिति में मा0 न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा वाद कम्पाउण्ड कराने की स्थिति में लाइसेन्स शुल्क सहित 50 प्रतिशत कम्पाउण्ड शुल्क देय होगा।

(क) किसी सरकारी भवन यदि कोई विज्ञापन लिखेगा या बोर्ड लगायेगा तो उसे विभाग की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा की स्थिति में ₹ 1000 जुर्माना देना होगा।

15. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी होंगे। अपर मुख्य अधिकारी चाहें तो कार्य अधिकारी/कर अधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत कर सकते है।

16. लाइसेन्स अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत को की जा सकती है, अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

17. इन उपविधियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन/बोर्ड/होर्ग्डिस लिखाई सूचना पट पर लाइसेन्स शुल्क वसूली के कार्य का ठेका/नीलाम पद्धति से भी किया जा सकता है।

18. इन उपविधियों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थान, विकसित कस्बों, बाजारों में विभिन्न प्रचार–प्रसार के विज्ञापन/बोर्ड, होर्डिंग्स, लिखायी सूचना पट पर लाइसेन्स शुल्क की दरें प्रति बोर्ड अथवा होर्डिंग्स की दशा में निम्नवत् होगी :–

(क) 5×4 वर्ग फीट साईज के होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड पर ₹ 1000 प्रति बोर्ड।

(ख) 5×4 वर्ग फीट साईज की लम्बाई, चौड़ाई से अधिक के सूचना पट पर ₹ 100 प्रति वर्ग फीट की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा।

लाइसेन्स अधिकारी का अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के प्रचार–प्रसार के विज्ञापन/होर्डिंग्स पर शुल्क वसूली का कार्य यथा स्थिति क्षेत्रवार, विकसित कस्बा वार, बाजार वार एवं सड़क वार अलग–अलग भी कर सकते हैं।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन ₹ 1000 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो किस उसमें अपरापधी अपराध करता रहा है, ₹ 50 प्रति दिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

शूरवीर सिंह मटूरा,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, हरिद्वार।

अंजुम,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, हरिद्वार।

डी0एस0 गर्ब्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 हिन्दी गजट/235–भाग 3–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।